



Ref.No.5/PresR/12938

6<sup>th</sup>May.2017

To,  
The Editor,

Dear Sir/Madam,

We are sending the following press note for publishing in your esteemed newspaper:

**Press Note**

**IIA demands revival of Food Parks in Gorakhpur**

In 2004, the Ministry of Food Processing Industries, Government of India with the efforts of Yogi Adityanath the then MP and now Hon'ble CM of Uttar Pradesh, approved setting up of Food Parks in Gorakhpur under the Food Park scheme. A grant-in-aid of Rs.323.11 lakhs was also approved by Ministry of Food Processing Industry of Government of India under the scheme of Infrastructure Development and first installment of Rs. 80.77 lakhs was also released in July 2007. At the state government level, this food park was to be implemented by "GIDA". "GIDA" earmarked 25 acres of land for this Food Park. After this GIDA was unable to complete its obligations and as a result Government of India asked for the refund of grant-in-aid in 2011.

Keeping in view the abundant agricultural produce in Gorakhpur & adjoining of east U.P and scope for setting up viable Food Processing Industries in the region, IIA have demanded for revival of Gorakhpur Food Park under the present "Mega Food Park" Scheme of Government of India. IIA have submitted the enclosed letter to Hon'ble Chief Minister U.P as well as Hon'ble Minister Industrial Development U.P and Principal Secretary Industrial Development U.P.

Regards

Pankaj Gupta

General Secretary



Ref.No. 5/PresR/12938

4-05-2017

सेवा मे,  
संपादक

महोदय / महोदया,

हम आपके सम्मानित समाचार पत्र म प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित प्रेस नोट भेज रहे हं:

### Press Note

## खोजी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से वर्ष 2004 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने फूड पार्क योजना के अंतर्गत गोरखपुर (Shahajanwa) में फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृत प्रदान की थी। इस योजना के तहत फूड पार्क में अवस्थापना सुविधाएँ सृजित करने हेतु भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 323.11 लाख रूपये की ग्रांट इन एंड स्वीकृत की गई थी जिसकी पहली किस्त 80.77 लाख रूपये वर्ष 2007 में कार्यदायी संस्था "गीडा " को अवमुक्त भी कर दी गयी थी।

### आईआईए की मांग

राज्य सरकार के स्तर पर इस फूड पार्क का कार्यान्वयन "गीडा" द्वारा किया जाना था। "गीडा" द्वारा इस फूड पार्क के लिए 25 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी थी। फूड पार्क एरिया में अनेक भूखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए गीडा द्वारा आवंटित किये गये जिनमे से अधिकतम पर आज 13 वर्षों बाद भी उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं।

गोरखपुर एवं इसके आस पास के पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिलो में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए भरपूर कृषि उत्पाद उपलब्ध है जिसके सापेक्ष प्रदेश के इस भाग में अभी भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय मंत्री औद्योगिक विकास और प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि गोरखपुर के आस पास के जिलो में पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादों की



# INDIAN INDUSTRIES ASSOCIATION

AN APEX BODY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

( IN THE SERVICE OF MSME SINCE 1985 )

पैदावार उपलब्ध होने एवं इसे और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से गोरखपुर (Shahajanwa) फूड पार्क को भारत सरकार की वर्तमान योजना "मेगा फूड पार्क" के अंतर्गत पुनर्जीवित किया जाये। पूरे भारत देश में 34 मेगा फूड पार्क स्वीकृत है जिसमें से उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में एक भी मेगा फूड पार्क स्वीकृत नहीं है।

"गीडा" द्वारा गोरखपुर (Shahajanwa) फूड पार्क एरिया में गैर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए भूमि आवंटन की जो कार्यवाही की जा रही है उसका का भी विरोध किया है और आग्रह किया है की उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए।

आई0आई0ए0 का प्रस्ताव स्वीकृत होने से न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा परन्तु किसानों और बेरोजगार युवकों को भी स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

भवदीय

पंकज गुप्ता

महासचिव

Head Office: IIA Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow

Tel: +91-522-2720090, 4069548; Email- [iaa@iaaonline.in](mailto:iaa@iaaonline.in); website: [www.iaaonline.in](http://www.iaaonline.in)